उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 65/2017/536/92-2-17-145जांच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 09 मई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-सीतापुर में तैनाती के दौरान प्राइमरी पाठशाला भवनों के निर्माण में बरती गयी अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-7/62-3-2003-2आरई/2003, दिनांक 13.02.2003 द्वारा श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड–फतेहपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर के पत्र दिनांक 11-06-2003 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के विरूद्व अधिरोपित आरोप स्थापित नही पाये गये।

2-अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप स्थापित नही होता है। अतएव शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-7/62-3-2003-2आरई/2003, दिनांक 13.02.2003 द्वारा श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत्त), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड–सीतापुर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही आरोप स्थापित न पाये जाने के आधार पर एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 65/2017/536(1)/92-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत्त), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड–सीतापुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।